रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 1973/चैत्र 22, 1895
No. 140] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 1973/CHAITRA 22, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 1973

S.O. 214 (E)/Ess. Com./Iron and Steel.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the *Iron and Steel (Contol) Order*, 1956, namely :—

1. (1) This Order may be called the Iron and Steel (Control) Amendment Order, 1973.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Iron and Steel (Control) Order, 1956,—(1) in clause 2, sub-clause (a) shall be relettered as sub-clause (aa) and before sub-clause (aa) as so relettered, the following sub-clause shall be inserted, namely : —

"(a) '*books*' includes any statement of accounts, Stock-Registers, Production-Registers registers showing the utilisation of iron and steel materials, sale and purchase bills or any other documents which the Controller may sepecify under clause 12 or sub-clause (a) of clause 24 or subclause (b) of clause 28 of this Order." ;

(2) in clause 11A,—

(i) for the words "Controller may order suspension", the words, "Controller may, for reasons to be recorded in writing, order suspension" shall be substituted;

(ii) the existing Note shall be numbered as Note (1) and after Note (1) as so renumbered, the following Notes shall be inserted, namely :—

"Note (2).—The follow-up action as contemplated in Note (1) shall be initiated within a period of three months of the date of order of suspension of supplies.

Note (3).—The Controller may, be order, for reasons to be recorded in writing, extend the period of follow-up action for a further period not exceeding three months.

Note (4).—The order of suspension of supplies shall stand withdrawn if the Controller fails to initiate the follow-up action within the said period of three months or within the extended period, if the period of follow-up action has been so extended, as the case may be";

(3) for clause 23A, the following clause shall be substituted, namely :—

"23A. Power to suspend supplies of scrap.—Notwithstanding anything contained in this Part of in the conditions governing the acquisition or disposal of any categories of scrap, the Controller may, for reasons to be recorded in writing, order suspension of further supplies of scrap forthwith to any person against whom there exists a credible information, or a reasonable susspicion, of the contravention of any condition laid down under this Order or of any direction issued hereunder.

NOTE (1).—The provisions of this clause shall be invoked only as an interim action in order to forestall further mis-utilisation of scrap and shall be followed up with further action, regard being had to the circumstances of the case.

NOTE (2).—The follow-up action as contemplated in Note (1) shall be initiated within a period of three months of the date of order of suspension of supplies.

NOTE (3).— The Controller may, by order, for reasons to be recorded in writing, extend the period of follow-up action for a further period not exceeding three months.

NOTE (4).—The order of suspension of supplies shall stand withdrawn if the Controller fails to initiate the follow-up action within the said period of three months or within the extended period if the period of the follow-up action has been so extended as the case may be.";

(4) after clause 28A, the following clause shall be inserted, namely :—

"28B. Power to debar any person from receiving iron or steel or scrap.—

(1) The Controller may, by order, for reasons to be recorded in writing, debar any person for any period, not exceeding five years, from receiving iron or steel or scrap from a registered producer or a registered stock-holder or a controlled stock-holder or from any other source either directly or through any committee, body or authority set up under clause 17 B or otherwise,—

(a) if the said person, uses iron or steel or scrap for any purpose other than the purpose for which any such material is acquired by, or sold to him or uses any such material in contravention of any condition subject to which the material is acquired by or sold to him ;

or

(b) if he is found to have violated any condition laid down under any clause of this Order or any direction issued thereunder;

or

(c) if he is found to have submitted any false documents or to have made any mis representation in acquiring any such material ·

Provided that before any such order is made, the person concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard.

(2) Any person aggrieved by an order of the Controller under sub-clause (1), may, within a period of thirty days of the date of the communication of the order, prefer an appeal to the Central Government.

(3) On receipt of an appeal under sub-clause (2), the Central Government shall, after giving the person aggrieved a reasonable opportunity of being heard, dispose of the appeal."

[No. F.S.C. (1)-1(18)/77.]

M. PRASAD, Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1973

का० आ० 214(अ)/आवश्यक वस्तु/लोहा तथा इस्पात.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1973 होगा ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।

2. लोहा और इस्पात नियंत्रण-आदेश 1956 में,—

(1) खण्ड 2 उपखण्ड (क) के स्थान पर उपखण्ड (कक) स्थापित किया जाएगा और इस प्रकार स्थापित उपखण्ड (कक) से पहले निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(क) 'पुस्तकें' इनमें लेखों का विवरण, स्टाक रजिस्टर, उत्पादन रजिस्टर, लोहे तथा इस्पात सामग्री का उपयोग रजिस्टर, बिक्री तथा खरीद के बिल अथवा इस आदेश के खण्ड 12 अथवा खण्ड 24 के उपखण्ड (क) अथवा खण्ड 28 के उपखण्ड (ख) के अधीन नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई भी प्रलेख शामिल है ।

(2) खण्ड 11 (क) में,—

(i) "नियंत्रक निलम्बित करने का आदेश दे सकता है" शब्दों के स्थान पर "नियंत्रक लेखबद्ध किए गए कारणों से निलम्बित करने का आदेश दे सकता है" शब्द रखे जाएं ।

(ii) वर्तमान 'नोट' को 'नोट' (1) लिखा जाए और इस प्रकार लिखे गए नोट (1) के पश्चात् निम्नलिखित नोट जोड़ दिए जाएं, अर्थात् :—

"नोट (2).—नोट (1) में परिकल्पित अनुवर्ती कार्यवाही आपूर्ति के निलम्बन के आदेश की तारीख से 3 महीने के अन्दर आरम्भ की जाएगी ।

नोट (3).—नियंत्रक अपने आदेश द्वारा, जिसके कारण लेखबद्ध किए जाएंगे, अनुवर्ती कार्यवाही करने की अवधि अधिकाधिक 3 महीने तक और बढ़ा सकता है ।

नोट (4).—यदि नियंत्रक तीन मास की कथित अवधि अथवा इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि, जैसा भी मामला हो, के अन्दर अनुवर्ती कार्यवाही आरम्भ नहीं करता है, तो आपूर्ति का निलम्बन आदेश वापिस ले लिया गया समझा जाएगा ।

3. खण्ड 23 (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाए, अर्थात् :—

"23 (क). स्क्रैप की सप्लाई निलंबित करने का अधिकार.—इस भाग में दी गई किसी बात अथवा स्क्रैप की किसी श्रेणी की प्राप्ति अथवा निपटान सम्बन्धी शर्तों के रहते हुए भी, नियंत्रक अपने आदेश द्वारा जिसके लिए कारण लेखबद्ध किए जाने चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आदेश के अन्तर्गत निर्धारित किसी शर्त अथवा किसी उसके अधीन जारी किए गये किसी निर्देश का उल्लंघन करने के बारे में विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो अथवा उचित सन्देह हो, स्क्रैप की और सप्लाई तत्काल निलम्बित कर सकता है ।

नोट (1).—इस खण्ड के उपबन्धों का सहारा केवल स्क्रैप के और अधिक दुरुपयोग योजन की संभावना को रोकने के लिए अन्तरिम कार्यवाही के रूप में ही किया जाएगा और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पर और आगे कार्यवाही की जाएगी ।

नोट (2).—नोट (1) में परिकल्पित अनुवर्ती कार्यवाही आपूर्ति के निलंबन के आदेश की तारीख 3 महीने के अन्दर आरम्भ की जाएगी ।

नोट (3).—नियंत्रक अपने आदेश द्वारा, जिसके कारण लेखबद्ध किए जाएंगे, अनुवर्ती कार्यवाही करने की अवधि अधिकाधिक 3 महीने तक और बढ़ा सकता है ।

नोट (4).—यदि नियंत्रक तीन मास की कथित अवधि अथवा इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि, जैसा भी मामला हो, के अन्दर अनुवर्ती कार्यवाही आरम्भ नहीं करता है, तो आपूर्ति का निलम्बन आदेश वापिस ले लिया गया समझा जाएगा ।

4. खण्ड 28 (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाए, अर्थात् :—

"28 (ख) किसी भी व्यक्ति को लोहा अथवा इस्पात अथवा स्क्रैप प्राप्त करने से विवर्जित करने का अधिकार".—

(1) नियंत्रक अपने आदेश द्वारा, जिसके कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा, किसी भी व्यक्ति को अधिकाधिक 5 वर्ष के लिए पंजीकृत उत्पादकों अथवा पंजीकृत स्टाकधारियों अथवा नियंत्रित अथवा किसी अन्य स्रोत से सीधे अथवा खण्ड 17 (ख) के अधीन स्थापित की गई किसी समिति, निकाय अथवा प्राधिकरण के माध्यम से लोहा अथवा इस्पात अथवा स्क्रैप प्राप्त करने से विवर्जित कर सकता है अथवा अन्यथा ,—

(क) यदि उक्त व्यक्ति, लोहे अथवा इस्पात अथवा स्क्रैप का उपयोग किसी ऐसे कार्य से भिन्न किसी अन्य कार्य के लिए करता है जिसके लिए यह माल प्राप्त किया गया हो अथवा उसे बेचा गया हो अथवा ऐसे किसी माल का प्रयोग करता है जिसे माल प्राप्त करने की शर्तों का उल्लंघन करके उसने प्राप्त किया हो अथवा उसे बेचा गया हो ;

अथवा

(ख) यदि यह पाया जाय कि उसने इस आदेश के किसी खण्ड अथवा उसके अधीन जारी किये गये किसी निर्देश का उल्लंघन किया है ;

अथवा

(ग) यदि यह पाया जाय कि उसने इस प्रकार का कोई माल प्राप्त करने के लिए कोई जाली दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा गलत बयानी है : बशर्ते कि ऐसा आदेश दिये जाने से पहले उसकी बात सुनने के लिए उसे पर्याप्त अवसर दिया जायेगा ।

(2) नियंत्रक के आदेश के उपखण्ड (1) के अधीन नियंत्रक द्वारा जारी किये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के अन्दर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकता है ।

(3) उपखण्ड 2 के अधीन प्राप्त हुई अपील का, केन्द्रीय सरकार व्यथित व्यक्ति को सुनवाई के लिए उचित अवसर देने के पश्चात्, निपटान करेगी ।

[सं० फ० एस० सी० (1)–1(18)/71]

महेश्वर प्रसाद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973